न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– मुन्नीराम बागड़िया (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– **11/2017**

मुबारिक पुत्र हनीफ जाति कायमखानी निवासी जाबासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
–रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील धारा 75 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ निर्णय दिनांक 20.12.2016 बअदालत तहसीलदार मलसीसर मुकदमा उनवानी सरकार बनाम मुबारिक मु0न0 15/2014 अ0 धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थिति : –

1. श्री विनोद कुमार गिल – अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी, एडवोकेट – राजकीय अधिवक्ता की ओर से।

–: निर्णय :– दिनांक. 17.11.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 20.12.2016 उनवानी सरकार बनाम मुबारिक मु.न. 15/2014 अ.धा. 91 राज. भू–राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि :– भूमि ख.न. 718 रकबा 7.06 हैक्टर भूमि में सम्पूर्ण में आबादी बसी हुई है उक्त भूमि बाबत केडिया परिवार को पट्टे दिये गये थे। उक्त भूमि के पट्टे जो केडिया परिवार को दिये गये वो पट्टे जागीर कमिश्नर द्वारा सत्यापित है। उक्त पट्टो के आधार पर विक्रय पत्र तसदीक हुये है एक तरफ अदालत मातहत विक्रय पत्र तसदीक कर रही है। दुसरी तरफ 91 की कर्यवाही कर रही है। दोनो विरोधाभाषी है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी के बयान लिये है परन्तु उक्त बयानों में जो तथ्य आये है उन पर गौर नही किया है उक्त जगह 450 घरों की आबादी मानी है अदालत मातहत ने पटवारी के बयानों पर विशेषण सही नहीं किया है। उक्त भूमि ना तो आंवटित है ना नियमन की हुई है उक्त भूमि के पट्टे जागिरदारों द्वारा जारी किये गये थे। जागिरदारों द्वारा सत्यापित किये गये थे। उक्त भूमि पर 91 की कार्यवाही नहीं चल सकती। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 20.12.16 निरस्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराया एंव कथन किया कि भूमि ख.न. 718 रकबा 7.06 हैक्टर भूमि में सम्पूर्ण में आबादी बसी हुई है उक्त भूमि बाबत केडिया परिवार को पट्टे दिये गये थे। उक्त भूमि के पट्टे जो केडिया परिवार को दिये गये वो पट्टे जागीर कमिश्नर द्वारा सत्यापित है। उक्त पट्टो के आधार पर विक्रय पत्र तसदीक हुये है एक तरफ अदालत मातहत विक्रय पत्र तसदीक कर रही है। दुसरी तरफ 91 की कर्यवाही कर रही है। दोनो विरोधाभाषी है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी के बयान लिये है परन्तु उक्त बयानों में जो तथ्य आये है उन पर गौर नही किया है उक्त जगह 450 घरों की आबादी मानी है अदालत मातहत ने पटवारी के बयानों पर विशेषण सही नहीं किया है। उक्त भूमि ना तो आंवटित है ना नियमन की हुई है उक्त भूमि के पट्टे जागिरदारों द्वारा जारी किये गये थे। जागिरदारों द्वारा सत्यापित किये गये थे। उक्त भूमि पर 91 की कार्यवाही नहीं चल सकती। अदालत मातहत ने उक्त गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर अपीलान्ट द्वारा ग्राम ढाणी बागा पडतान के भूमि ख0न0 718 कुल रकबा 7.06 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 130 वर्गमीटर भूमि पर पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिचार अवैध होने के कारण विधिक प्रक्रिया के अनतर्गत विधिसमत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

मैंने पत्रावली एंव मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर के निर्णय दिनांक 20.12.2016 को अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि मकबूजा ठिकाना की भूमि थी जिसका इन्द्राज मिसल हकियत सम्वत 1999 में दर्ज है जिसके पट्टे ठिकाना ने सम्वत 14.04.1954 में जारी किये थें। उक्त पट्टे जागिर कमिश्नर द्वारा सत्यापित है। तथा तहसीलदार मलसीसर ने ही उप पंजियक कि हैसियत से विक्रय पत्र तस्दीक किये है तथा दूसरी तरफ तहसीलदार मलसीसर ही 91 का नोटिस दे रहा है जो विरोधाभाषी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 को खारिज किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे स्वयं वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण कर, पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को मेरे द्वारा अलग से टकिंत करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- मुन्नीराम बागड़िया (आर० ए० एस०)

अपील संख्या :- 11/2017

मुबारिक पुत्र हनीफ जाति कायमखानी निवासी जाबासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
—अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
—रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील धारा 75 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ निर्णय दिनांक 20.12.2016 बअदालत तहसीलदार मलसीसर मुकदमा उनवानी सरकार बनाम मुबारिक मु0नं0 15/2014 अ0 धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थिति : —

1. श्री विनोद कुमार गिल — अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी, एडवोकेट — राजकीय अधिवक्ता की ओर से।

—: निर्णय :— दिनांक. 17.11.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 20.12.2016 उनवानी सरकार बनाम मुबारिक मु.न. 15/2014 अ.धा. 91 राज. भू–राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि :– भूमि ख.न. 718 रकबा 7.06 हैक्टर भूमि में सम्पूर्ण में आबादी बसी हुई है उक्त भूमि बाबत केडिया परिवार को पट्टे दिये गये थे। उक्त भूमि के पट्टे जो केडिया परिवार को दिये गये वो पट्टे जागीर कमिश्नर द्वारा सत्यापित है। उक्त पट्टो के आधार पर विक्रय पत्र तसदीक हुये है एक तरफ अदालत मातहत विक्रय पत्र तसदीक कर रही है। दुसरी तरफ 91 की कर्यवाही कर रही है। दोनो विरोधाभाषी है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी के बयान लिये है परन्तु उक्त बयानों में जो तथ्य आये है उन पर गौर नही किया है उक्त जगह 450 घरों की आबादी मानी है अदालत मातहत ने पटवारी के बयानों पर विशेषण सही नहीं किया है। उक्त भूमि ना तो आंवटित है ना नियमन की हुई है उक्त भूमि के पट्टे जागिरदारों द्वारा जारी किये गये थे। जागिरदारों द्वारा सत्यापित किये गये थे। उक्त भूमि पर 91 की कार्यवाही नहीं चल सकती। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 20.12.16 निरस्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू